कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 40/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 28.01.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 28.01.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस नोट

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक **24.01.2026** को थाना अतरौलिया पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 **35/26** अंतर्गत धारा **137(2)/87 बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त मुकदमे में धारा **64(1) बीएनएस एवं 3/4 पास्को एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक **28.01.2026** को प्रभारी विवेचक उ0नि0 **देवी शंकर पाण्डेय** द्वारा पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्त के दौरान **मुखबिर की सूचना पर** वांछित अभियुक्त **रब्बानी आलम** को **तेजापुर मोड़** के पास से समय **08.30 बजे** नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए **माननीय न्यायालय/जेल** भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

रब्बानी आलम पुत्र अब्दुल कादिर, निवासी लोहरा, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 32 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय
2. का0 शिवानन्द चौधरी

   थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

मंदिर की दानपेटी चोरी करने वाला अभियुक्त नगदी सहित गिरफ्तार

दिनांक **27.01.2026** को थाना सरायमीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर से दानपेटी चोरी किए जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 **29/2026** अंतर्गत धारा **331(4)/305(डी) बीएनएस** पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा **317(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई।

दिनांक **27.01.2026** को उ0नि0 **अभिषेक सिंह** द्वारा पुलिस टीम के साथ शांति व्यवस्था एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान **मुखबिर की सूचना पर** अभियुक्त **वासिद** को **चककोट रेलवे क्रासिंग के पास** से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई दानपेटी से संबंधित **कुल ₹1155/- नगद** बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:

दानपेटी से संबंधित कुल नगद ₹1155/- (नोट एवं सिक्के)।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

वासिद पुत्र असलम, निवासी खरेवा मोड़, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 31 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह का0 अंकुर सिंह
2. का0 मिथिलेश यादव थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक: 28.01.2026

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक **28.01.2026** को क्षेत्राधिकारी नगर एवं थानाध्यक्ष रानी की सराय के नेतृत्व में पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मामूर थी। इसी दौरान **मुखबिर की सूचना पर ग्राम छौलाइनार तिराहे के पास** एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई, जिसके कब्जे से **एक अदद देशी तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर** बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **अब्दुल्ला पुत्र अबुलखैर**, निवासी आवक, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 **16/2026** अंतर्गत **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

बरामदगी का विवरण:

- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर
- एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:

अब्दुल्ला पुत्र अबुलखैर निवासी – आवक, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :

क्रम सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	77/2023	323, 325, 504, 506 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
02	05/2024	379, 411 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
03	16/2026	3/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 अमिताबचन्द रि0उ0नि0 सूरज तिवारी का0 आनन्द कुमार थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

दिनांक – 28.01.2026

मिशन शक्ति एवं साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोगों को किया गया जागरूक।

दिनांक 28.01.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री भूपेश कुमार पाण्डेय द्वारा थाना बरदह क्षेत्रांतर्गत ग्राम सोहौली में थाना प्रभारी बरदह के साथ ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा साइबर अपराध से बचाव एवं सतर्कता के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। लोगों को किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या अपराध की स्थिति में तत्काल सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर/साइट:-

01. साइबर अपराध हेल्पलाइन: 1930
02. साइबर अपराध रिपोर्टिंग वेबसाइट: www.cybercrime.gov.in
03. महिला हेल्पलाइन (UP): 1090
04. चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
05. आपातकालीन सेवा: 112

➡ पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि वे सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें एवं सुरक्षित समाज के निर्माण में सहयोग करें।

प्रेस नोट, दिनांक – 28.01.2026
जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक में एक प्रकरण का सफल समझौता

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक **28.01.2026** को **थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण** में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में कुल **05 पत्रावलियों** में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से मीडिएशन हेतु आमंत्रित किया गया, जिसमें संबंधित पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई। अथक प्रयासों के उपरान्त **01 पत्रावली में आपसी समझौता** कराया गया। उक्त प्रकरण में पति द्वारा कम दान-दहेज को लेकर मारपीट, गाली-गलौज एवं भरण-पोषण न देने से संबंधित विवाद था।

01 पत्रावली अन्य कारणों से बंद की गई, जबकि शेष पत्रावलियों में दोनों पक्षों को अग्रिम तिथि हेतु पुनः नोटिस/दूरभाष के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन की कार्यवाही की जाएगी।

नई किरण परियोजना, मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बिखरे हुए परिवारों को पुनः एक सूत्र में बाँधने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार में भी कमी लाई जा रही है।

समझौते का विवरण:

कुल समझौते – **01**

समझौता पक्षकार:

सरोजा पुत्री रामराज निवासी – ग्राम कोड़हरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी – प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- उ0नि0 सत्यनारायण यादव – प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
- महिला आरक्षी नेहा सिंह

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 28.01.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 61500-61500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 61500-61500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.01.2023 को वादी मुकदमा राजेश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी बडौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र भगेलू 2. दीपक उर्फ अमित पुत्र राजकुमार 3. सतीश उर्फ डम्पी पुत्र राजकुमार 4. मनीष उर्फ पप्पी पुत्र राजकुमार 5. आशा पत्नी राजकुमार निवासीगण बडौरा खुर्द थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा एक राय होकर वादी के घर मे घुसकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से मारने पीटने लगे जिससे वादी की पत्नी कौशल्या की मौके पर ही मृत्यु हो जाना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 09/23 धारा-147, 148,149, 302,307, 325, 323,452 भादवि थाना जहानागंज पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 14 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 28.01.2026 को मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र भगेलू 2. दीपक उर्फ अमित पुत्र राजकुमार 3. सतीश उर्फ डम्पी पुत्र राजकुमार 4. मनीष उर्फ पप्पी पुत्र राजकुमार 5. आशा पत्नी राजकुमार निवासीगण बडौरा खुर्द थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 61500-61500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**